इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 मई 2024—वैशाख 18, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2024

क्रमांक AGR/11/0062/2024-Sec-2-14(AGR) 309625 - रबी सीजन 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में भारत सरकार की "प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS)" अंतर्गत केंद्र शासन/ राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर तथा सरसों" का उपार्जन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, केंद्र शासन/राज्य शासन की संस्थाओं को "प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS)" अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर तथा सरसों" के प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर देय मंडी फीस के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

मंडी फीस के भुगतान से उक्त छूट, "प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS)" अंतर्गत रबी सीजन 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर तथा सरसों" के उपार्जन के लिए लागू रहेगी। राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2400/1065910/2023/26-2, दिनांक 14.08.2023 के अनुसार मण्डी फीस के भुगतान से छूट के कारण निराश्रित शुल्क के भुगतान से भी छूट होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2024

पृ.क्र. AGR/11/0062/2024-Sec-2-14(AGR) 309625/- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 08-05-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 8th May 2024

No. AGR/11/0062/2024-Sec-2-14(AGR) 309625 - Scheduled Agricultural Produce "Chana, Masoor and Sarson" is being procured at Minimum Support Price by the agencies of Union Government / State Government under "Price Support Scheme (PSS)" of the Government of India in **Rabi Season 2023-24 (Marketing Year 2024-25)**.

In exercise of the powers conferred in sub-section (1) and (2) of section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No 24 of 1973), the State Government, hereby, exempts the agencies of Union Government / State Government for the procurement of Scheduled Agricultural Produce "Chana, Masoor and Sarson" at Minimum Support Price under "Price Support Scheme (PSS)" from the farmers of the State for payment of Market Fees.

The above exemption from payment of Market Fees shall be effective for procurement of Scheduled Agricultural Produce "Chana, Masoor and Sarson" under "Price Support Scheme (PSS)" in **Rabi Season 2023-24 (Marketing Year 2024-25)**, As per State Government Notification No. 2400/1065910/2023/26-2, dated 14.08.2023, due to exemption from payment of Mandi Fee, there will also be exemption from payment of Nirashrit fee.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK BARNWAL, Addl. Chief Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.